संख्या- 186/2015/841/22-4-15-48(86)/15

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 18 सितम्बर, 2015

विषय- नवीन कारागारों के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2585पी/22-4-95-75(28)/95, दिनांक 18.12.1995 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा भविष्य में निर्मित होने वाली कारागारों के निर्माण हेतु वॉछित भूमि एवं उस पर बनने वाले विभिन्न भवनों के मानकों के निर्धारण किये गये हैं। कारागारों में बन्दियों की संख्या में उत्तरोत्तर हो रही वृद्वि को देखते हुए कारागारों की क्षमता विस्तार किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है किन्तु भूमि की कमी के कारण उनका विस्तार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जिला कारागारों के निर्माण के लिए निम्नवत् भूमि की व्यवस्था कराई जाय:-

(क)	3000 बन्दी क्षमता वाले कारागारों के लिए	100 एकड़
(ख)	2000 बन्दी क्षमता वाले कारागारों के लिए	80 एकड़
(ग)	1000 बन्दी क्षमता वाले कारागारों के लिए	60 एकड़

भवदीय,

एस0के0रघुवंशी
सचिव

संख्या-186/2015/841(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-21329/नम-2/नवीन जेल महोबा/2015, दिनांक 30.06.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in